तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित पट्टे के संबंध में प्रार्थीया के अलावा विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने भी निगरानी प्रस्तुत कर रखी है जिसके प्र. सं. 05/2015 होकर विचाराधीन है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त फर्जी पट्टे की आड मे प्रार्थीया वृद्ध होने से जबरन उसका कब्जा हटाकर, निगरानियों के निस्तारण से पूर्व उक्त विवादित भूखण्ड पर निर्माण कर बेचान कर रहा है। ग्राम पंचायत को 160X60 इतने बडे साईज का भूखण्ड का पट्टा देने का अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त पट्टा पूर्णतः फर्जी एवं बनावटी होकर निरस्त योग्य है। अतः मूल निगरानियों में निर्णय होने तक भूखण्ड पर मौका स्थिति यथावत रखने, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करने एवं बेचान नहीं करने हेतु विपक्षी संख्या 1 को पाबन्द करावे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा उसे सन् 1991 में विधिवत् पट्टा जारी किया है जिस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा सन् 1994 में जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के माध्यम से राज्य सरकार से ऋण प्राप्त कर एवं स्वयं की आय लगाकर उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण कराया जिसमें 04 दुकानें, 02 बडे हाल, 05 कमरे, 02 किचन, 02 लेट्रिन, 01 बाथरूम, नाल, उपर चांदनी आदि का निर्माण करा विपक्षी अपने परिवार सहित तन्हा निवासरत चला आ रहा है। प्रार्थीया ने सारे तथ्य मनगढन्त अंकित किए हैं उसका किसी प्रकार का कोई कब्जा, हक, हिस्सा एवं अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे। हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिववक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1991 में पट्टा जारी किया है जबकि प्रार्थीया द्वारा पट्टा जारी करने के 24 वर्ष पश्चात् सन् 2015 में निगरानी प्रस्तुत की है तथा सन् 2016 में 25 वर्ष पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है साथ ही प्रार्थीया ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे की विवादित पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थीया का कब्जा प्रमाणित/सिद्ध होता हो, जबकि विपक्षी संख्या 1 ने विवादित भूखण्ड पर अपने निर्मित भवन की फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत की है तथा उक्त फोटोग्राफ विपक्षी संख्या 1 के उक्त विवादित भूखण्ड पर निर्मित मकान का नहीं होने के संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई ऐतराज/आक्षेप भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही स्थगन प्रार्थना पत्र में अपने वर्णित तथ्यों को प्रमाणित कराया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया विवादित पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थीया का कब्जा सिद्ध नहीं होता है जिससे स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 02/2015 (नि.पं.) के साथ संलग्न की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) जिला कलैक्टर चित्तौड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official